न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद जिला प्रतापगढ

निर्णय बाइजलाल श्री विमलेन्द्र राणावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी

प्रकरण स.40 / 20 दायर दिनांक – 13.08.20

अनवान

1.श्री शिवलाल पिता बगदीराम मीणा निवासी कनाड – प्रार्थी

बनाम

2. तहसीलदार अरनोद – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
श्री अर्जुन वेष्णव वकील प्रार्थी

–:निर्णय:– निर्णय दिनांक 12.04.24

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि प्रार्थी के नाम सयुक्त सामलाती खाते वाके ग्राम कनाड पटवार हल्का लालगढ मे स्थित हो कर सिका विवरण निम्नानुसार है।

खाता नम्बर	आराजी नम्बर	रकबा
38	1053	0.68 है0

इसी प्रकार एक अन्य खाता ग्रम कनाड मे स्थित हो कर जिसका विवरण निम्नवत है।

खाता सख्या	आराजी नम्बर	रकबा
39	455	1.46 है0

इसी प्रकार एक अन्य खाता ग्रात कनाड मे स्थित हो कर जिसका विवरण निम्नवत है।

खाता सख्या	आराजी नम्बर	रकबा
321	1083	0.02 है0
	1084	2.14 है0
	654	0.38 है0
	658	0.01 है0
	659	0.95 है0
कुल किता	05	कुल रकबा 3.50 है0

उक्त आराजी पर प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज हो कर काश्त करता चला आ रहा हैं उक्त आराजीयात मे खाता सख्या 38 पर प्रार्थी का नाम शिवनारायम पिता बगदीराम इसी प्रकार खाता सख्या 39 मे प्रार्थी का नाम शिवनारायण पुत्र बगदीराम व खाता सख्या 321 मे प्रार्थी का नाम शिवा पुत्र बगदीराम दर्ज रिकार्ड हो गया हैं

प्रार्थी का वास्तविक नाम राशन कार्ड, परिचय पत्र, व अन्य सरकारी दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम शिवलाल पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड है। लेकिन उपर वर्णित राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम अलग अलग शिवनारायम,शिवनारायण व शिवा पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड हो गया हैं जो कि गलत है।

वर्तमान रिकार्ड यथा जमाबन्दी इत्यादी मे संहवन से प्रार्थी का नाम शिवलाल के बजाय अलग अलग शिवनारायम,शिवनारायण व शिवा पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड हो गया हैं जो कि गलत है। क्योकि प्रार्थी का वास्तविक नाम शिवलाल हैं प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे अलग शिवनारायम,शिवनारायण व शिवा पिता बगदीराम होने से प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी पर सरकारी गेर सरकारी योजनाओ का लाभ लेने अथवा सहकारी समिति अथवा बैंक से ऋण इत्यादी लेने काफी असुविधाओ का सामना करना

Scanned with OKEN Scanner

डता है। इस वजह से प्रार्थी को सरकार द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओ का उचित लाभ नही मिल पा रहा है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम शिवलाल किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी अधिकारी है कि मौजा कनाड के खाता सख्या 38, 39, व 321 के वर्तमान रोटेशन की जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम अलग अलग शिवनारायम,शिवनारायण व शिवा पिता बगदीराम के बजाय शिवलाल पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड कराया जावें और उसी अनुसार संशोधन कर राजस्व रिकार्ड मे संशोधन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी तहसीलदार अरनोद को सम्मन जारी किया गया । तहसीलदार अरनोद ने जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली बहस मे नियत की गई । बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तत्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मोजा कनाड प0ह0 लालगढ के खाता सख्या 38,39, 321 मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी का नाम अलग अलग शिवनारायम,शिवनारायण व शिवा पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड हो गया है जो गलत है। चुंकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, परिचय पत्र, व अन्य सरकारी दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम शिवलाल पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड है। जिससे उक्त आराजी पर सरकारी गेर सरकारी योजनाओ का लाभ लेने अथवा सहकारी समिति अथवा बैंक से ऋण इत्यादी लेने मे काफी असुविधाओ का सामना करना पडता है। इस वजह से प्रार्थी को सरकार द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओ का उचित लाभ नही मिल पा रहा है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम शिवलाल किया जाना आवश्यक है।

तहसीलदार अरनोद से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट अनुसार मोजा कनाड प0ह0 लालगढ के खाता सख्या 38,39, 321 मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी सयुक्त सह खातेदार है। जिसमे प्रार्थी का नाम अलग अलग शिवनारायम,शिवनारायण व शिवा पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड हो गया है जो गलत है। प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजो मे शिवलाल पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड हैं उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम शिवनारायम,शिवनारायण व शिवा पिता बगदीराम के बजाय शिवलाल पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड किया जाना उचित होना बताया है।

हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज,तहसीलदार अरनोद की रिपोर्ट अनुसार मोजा कनाड के राजस्व रिकार्ड मे खाता सख्या 38,39,321 मे स्थित आराजीयात मे प्रार्थी का नाम शिवनारायम,शिवनारायण व शिवा पिता बगदीराम है जो गलत है। जिसे शुद्ध किया जा कर शिवलाल पिता बगदीराम दर्ज रिकार्ड किया जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार अरनोद को राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करने हेतू तहरीर जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.04.24 को सरेइजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

Scanned with OKEN Scanner